2022/84

सरवर्क

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बनेड़ा

किस्म मुकदमा	मुकदमा नं. एवं वर्ष	तारीख दायर	ग्राम का नाम	तारीख फैसल	नं. फैसल	तारीख फैशी
प्रार्थना पत्र	68/2022	20-5-22	बेसकलाई (राशी)	फैसल 20/5/22		

अनुवान

श्री नवाब खाँ S/o आलम अलीखाँ .... बनाम श्री मोहन भील निवासी बेसकलाई
निवासी बेसकलाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.05.27 16:20:10 IST
Reason: SelfAttested

निगराकार / प्रार्थी / अपी.   अप्रार्थी / रेस्पो.

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज **अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर बनेड़ा** मुकाम **सरदारनगर**

........नवाब खां कायमखानी........बनाम ....मोहन भील........

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 128 एल0आर0ए0 नं0 ....68......... सन् .....**2022**..........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.05.2022	प्रार्थना पत्र केम्प कोर्ट सरदारनगर पर पेश हुआ। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखया सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा Signature Not Verified Digitally signed by Anshul Singh Date: 2022.05.27 16:20:10 IST Reason: SelfAttested	

प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 फोलोअप कैम्प मुख्यालय **सरदारनगर**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी अंशुल सिंह आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 68 /2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

नवाब खां पिता आलम अली खा कायमखानी निवासी बेसकलाई तहसील बनेड़ा

प्रार्थी

बनाम

1– मोहन भील निवसी बेसकलाई तहसील बनेड़ा

2– तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

उपस्थित :– श्री के0के0 जीनगर
अभिभाषक **प्रार्थी**

निर्णय

दिनांक :– **20/05/2022**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :– **प्रार्थी** ग्राम **बैसकलाई** तहसील बनेड़ा जिला भीलवाडा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2083/732 रकबा 2.7822 है0, 3287 रकबा 0.5817 है0, 388 रकबा 0.5691 है0 कुल किता 3 रकबा 3.9300का प्रार्थी चाहता काश्तकार है वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढी कराई जाये।

प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, प्रार्थी/अभिभाषक दिनांक **20/05/2022** को केम्प मुख्यालय सरदारनगर पर उपस्थित हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल, जमाबन्दी ग्राम **बैसकलाई** संवत **2073 से 2076** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजियात के प्रार्थी खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। प्रार्थी अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर **प्रार्थी** का प्रार्थना प[illegible] योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **बैसक**[illegible] खातेदार की आराजियात **2083/732 रकबा 2.7822 है0, 328**[illegible] **रकबा 0.5691 है0** किता **3** रकबा **3.9300** की पुख्ता पत्थरगढी पक्षकारान की मौजूदगी में [illegible] मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व न कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढी किये जाने हेतु भू0अभिलेख निरीक्षक **सरदारनगर** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस **1600/–** रुपये कायम किये जाते हैं। प्रार्थीगण कमिश्नर फीस मौके पर जमा करावें। कमिश्नर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.05.27 16:20:10 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्षकरान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में ही_पत्थरगढ़ी की कार्यवाही सम्पन्न जावें अन्यथा नहीं। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदार भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एंव स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक **सरदारनगर** जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे। पत्थरगढी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तफसील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक **20/05/2022** को प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 फोलोअप कैम्प मुख्यालय सरदारनगर पर सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :–

तहसीलदार बनेड़ा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान को नोटिस तामिल करा उनकी मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.05.27 16:20:10 IST
Reason: SelfAttested